कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट सतना (म0प्र0)

क्रमांक/ 169 /8/एस.डब्ल्यू./2020 दिनांक - 30.03.2020

//आदेश//

कोरोना वायरस (COVID- 19) के संक्रमण के प्रसार को नियंत्रित करने एवं निदानात्मक उपायों को सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण से केन्द्रीय गृह सचिव एवं अध्यक्ष राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति (राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण) द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 10(2)(I) के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में जारी किये गये आदेश क्रमांक 40-3/2020-DM-I(A) दिनांक 29 मार्च 2020 के अनुक्रम में मैं अजय कटेसरिया कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जिला सतना एवं पदेन अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जिला सतना उक्त अधिनियम की धारा 26(2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नानुसार आदेश जारी करता हूँ :-

1. सभी प्रवासी इत्यादि जिस भी जगह पर रह रहे हैं, उनके भोजन एवं रहने की व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित ग्राम पंचायतों तथा नगरीय क्षेत्रों में संबंधित नगरीय निकायों द्वारा की जावेगी । उक्त व्यवस्थाओं के लिए संबंधित निकाय अपनी निधि, पंच परमेश्वर की राशि तथा तदर्थ समिति के फण्ड का उपयोग कर सकेंगे । इस कार्य हेतु यथा संभव समाज सेवियों, दान-दाताओं का भी सहयोग लिया जाये । नगर निगम आयुक्त सतना संबंधित मुख्य नगर पालिका अधिकारी तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत उक्त कार्यएवं व्यवस्थाओं के लिए उत्तरदायी होंगे । ग्राम पंचायतों में सरपंच, सचिव, आंगनवाड़ी स्टाफ एवं ग्राम रक्षा समितियों के माध्यम से कार्य किया जाये । संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अपने-अपने क्षेत्रों के मंडी सचिव एवं अनाज व्यापारियों से चर्चा कर सूखे अनाज की व्यवस्था करेंगे ।
2. आज दिनांक जो भी व्यक्ति बाहर से आते हैं, उन्हें अनिवार्य रूप से न्यूनतम 14 दिनों की अवधि के लिए स्वास्थ्य विभाग के मानक प्रोटोकाल का पालन करते हुए क्वारेंटाइन में रखा जाये। जहां अधिक संख्या में बाहर से आये ऐसे लोग हैं, जिनके पास रहने के लिए आवास नहीं है या स्वास्थ्य विभाग से अभिमत अनुसार आवास में रखा जाना उचित नहीं है। उनके लिए निकटस्थ शासकीय भवन जैसे- स्कूल, हॉस्टल आदि में पुनर्वास शिविर स्थापित कर रूकने एवं भोजन की व्यवस्था की जाये । उक्त शिविरों पर होने वाला व्यय म0प्र0 शासन राजस्व विभाग, मंत्रालय भोपाल के आदेश क्र0/रा0आ0/सात/शा-8/2020 1385 दिनांक 29.03.2020 के अनुसार मांग संख्या 58 मुख्य शीर्ष 2245 योजना क्रमांक 0747 के तहत विकलनीय होगा। समस्त संबंधित अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) तथा अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) इस व्यवस्था के लिए उत्तरदायी अधिकारी होगें ।

3. उद्योग, दुकानों तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानों सहित सभी प्रकार के नियोक्ता अपने श्रमिकों को नियत तिथि पर बिना किसी कटौती के, लॉकडाउन की अवधि सहित उनके पारिश्रमिक का अनिवार्यत: भुगतान करेंगे ।ऐसी समस्त फैक्ट्ररी, कम्पनी, दुकानें या व्यावसायिक प्रतिष्ठान, जहां बाहर से आये मजदूर कार्य कर रहे हैं, उनके भोजन आदि की व्यवस्था के लिए उस प्रतिष्ठान के मालिक जिम्मेदार होंगे । उक्त निर्देशों का पालन कराने की जिम्मेदारी सहायक श्रमायुक्त, महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र, जिला आपूर्ति नियंत्रक, जिला प्रबंधक नागरिक आपूर्ति निगम तथा जिला प्रबंधक मार्कफेड की होगी ।

4. यह आदेशित किया जाता है कि दिनांक 30 अप्रैल 2020 तक कोई भी मकान मालिक अपने किरायेदारों पर किराये के लिए दबाव नहीं बनायेगा, न ही कोई मकान मालिक श्रमिकों एवं विद्यार्थियों को अपने परिसर खाली करने के लिए बाध्य करेगा । यदि कोई मकान मालिक ऐसा करता है तो उसके विरूद्ध अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही की जाएगी ।

5. समस्त शासकीय या निजी होस्टल में रह रहे बच्चों/छात्रों की भोजन व्यवस्था की जिम्मेदारी संबंधित होस्टल अधीक्षक/हॉस्टल संचालक की होगी सहायक आयुक्त आदिम जाति कल्याण विभाग इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी होंगे ।

6. स्पष्ट किया जाता है कि जिले के बाहर जाने वाले और जिले में आने वाले यात्री जो निजी कारणों से आवागमन कर रहे हैं पर रोक लगाई जाती है । आवश्यक वस्तु एवं सेवाओं पर जिले के बाहर या अन्दर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा । आवश्यक सेवाओं के प्रतिष्ठान पूर्व की भांति खुले रहेंगे एवं उनसे जुड़े कार्यों हेतु वाहन एवं व्यक्तियों को दी गई अनुमति (पास) पूर्व की तरह मान्य होगा ।

समस्त संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार (इन्सीडेण्ट कमाण्डर) अपने-अपने अनुभाग/तहसील क्षेत्र में उक्त आदेश का पालन कराना सुनिश्चित करेंगे। उक्त निर्देशों का उल्लंघन किए जाने पर संबंधित व्यक्ति आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 से 60 के प्रावधानों के अंतर्गत वैधानिक कार्यवाही हेतु उत्तरदायी होगा ।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा ।

(अजय कटेसरिया)
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जिला सतना (म0प्र0)

पृ0क्रमांक/ 169 /8/एस.डब्ल्यू./2020 दिनांक - 30.03.2020

प्रतिलिपि :-

1. कमिश्नर रीवा संभाग रीवा की ओर सूचनार्थ ।
2. पुलिस अधीक्षक सतना की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
3. अपर जिला दण्डाधिकारी सतना की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सतना की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
5. आयुक्त नगर पालिक निगम सतना/मुख्य अधिशासी अधिकारी केन्ट बोर्ड सतना की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
6. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी/नगर दण्डाधिकारी सतना/अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस)/समस्त तहसीलदार समस्त जिला सतना की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
7. सहायक श्रमायुक्त /महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र / जिला आपूर्ति नियंत्रक/ जिला प्रबंधक नागरिक आपूर्ति निगम/जिला प्रबंधक मार्कफेड/सहायक आयुक्त आदिम जाति कल्याण विभाग जिला सतना की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
8. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत(समस्त) जिला सतना की ओर सूचनार्थ एवं अवश्यक कार्यवाही हेतु ।
9. मुख्य नगर पालिका अधिकारी (समस्त) सतना की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
10. मंडी सचिव, (समस्त) सतना की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
11. स्टेनो टू कलेक्टर सतना की ओर सूचनार्थ ।
12. उपसंचालक /सहायक संचालक जिला सतना की ओर भेजकर निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश का समस्त प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से व्यपक प्रचार-प्रसार करना सुनिश्चित करें ।

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जिला सतना (म0प्र0)